संख्या-41 /2025/788-22-4-2025-1958060

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 19 सितंबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक 2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 250.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30052/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 29.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक 2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू० 316.00 लाख से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 316.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तो के अधीन रू0 250.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी है, जिसे संलग्नकर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:-

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	**लेखाशीर्ष**	**मानक मद**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग**	**वित्तीय वर्ष**
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	01 (वेतन)	5,33,13,40,000 रुपये पाँच अरब तैंतीस करोड़ तेरह लाख चालीस हजार मात्र	3,16,00,000 रुपये तीन करोड़ सोलह लाख मात्र	3,16,00,000 रुपये तीन करोड़ सोलह लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	5,30,63,40,000 रुपये पाँच अरब तीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार मात्र	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल					₹ 3,16,00,000	₹ 2,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	3,16,00,000 रुपये तीन करोड़ सोलह लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 3,16,00,000	₹ 2,50,00,000		

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से धनराशि प्रदान की जा रही है । प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में महानिरीक्षक कारागार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानि रीक्षक कारागार का होगा ।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(4 महानिरीक्षक कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.

(5) महानिरीक्षक कारागार प्रदेश के कारागार में आउटसोर्स पर तैनात कार्मिको की संख्या की पुष्टि करते हुये तद्नुसार व्यवस्थित धनराशि से समयान्तर्गत पारिश्रमिक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(6) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 2056001010300 समस्त कारागार **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-41 /2025/788-22-4-2025-1958060, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।